**संख्या-1/1148/12-5-2015-72/2015**

प्रेषक,

सर्वजीत राम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना एवं 05- जिला संगठन योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0(1)663/ पुनर्विनियोग 2015-16, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित मण्डल अलीगढ़ के कृषि विभाग के कार्यालयों हेतु कतिपय पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नियुक्त कर्मियों तथा कृषि निदेशालय के भवन में विघुत संचालन एवं मरम्मत संबंधी कार्य हेतु सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रखे गये संविदा कर्मियों के परिश्रमिक का भुगतान करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 4877 हजार ( रू0 अड़तालिस लाख सतहत्तर हजार मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63 दिनांक-17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364 / दस-15(1) 63 दिनांक-17-01-79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि के देयक पर कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाय । जहाँ तक सम्भव हो व्यय फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय ।

5- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।

6- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं 05- जिला संगठन योजना-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

**संख्या-1148 (1) /12-5-2015, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 1148/12-5-2015-72/2015 दिनांक 08.01.2016
का संलग्नक

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

**( संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर -158 )**

**( इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय )**

**अनुदान संख्या व नाम: 11-कृषि तथा अन्य सम्बध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2015-16**

**(धनराशि हजार रू0 में )**

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में ) आयोजनेत्तर | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**अनुदान संख्या-11**

**2 4 0 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0**

**2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनेत्तर**

**101- मृदा तथा जल संरक्षण**

**03-मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-वेतन | 850000 | 6091 | 6091 | 4877 | 845123 |
| कुल योग | | | 6091 | 4877 | 845123 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में ) आयोजनेत्तर | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**अनुदान संख्या-11**

**2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0**

**2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर**

**001-निदेशन तथा प्रशासन**

**03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना**

**16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**

**46- कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय**

**2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0**

**2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर**

**001-निदेशन तथा प्रशासन**

**05- जिला संगठन योजना**

**16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **500** | **1075** | **575** | **575** | **1075** |
| | **2500** | **3714** | **1214** | **-** | **-** |
| | **600** | **4902** | **4302** | **4302** | **4902** |
| | | | **6091** | **4877** | **5977** |

**( रू0 साठ लाख इक्यान्नबे हजार मात्र )**

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से हैं :-

अ-वेतन की मद में वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- शा0सं0-1947/12-1-12-2545/10 दिनांक 13.09.2012 के क्रम में अलीगढ़ मण्डल एवं हापुड जनपद हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के परिश्रमिक के भुगतान हेतु ।

स- शा0सं0-707/12-3-2015-100(61)/2012 टी0सी0 दिनांक 14.05.2015 द्वारा कृषि विभाग की वेबसाइट के नवीनीकरण एवं विकास हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के कारण भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ।

द- कृषि निदेशालय के भवन में विघुत संचालन एवं मरम्मत सम्बन्धी कार्य हेतु सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या: आरई /210/ई- /दस-2015 दिनांक 22.12.2015

**सेवा में,**

**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 , इलाहाबाद ।**

| **प्रशासकीय विभाग** | **वित्त विभाग** |
|---|---|
| **( मंजू लता सिंह )** | **(अवनिश चन्द्र द्विवेदी)** |
| **अनुसचिव,** | **संयुक्त सचिव,** |
| **कृषि विभाग,** | **वित्त विभाग,** |
| **उ0प्र0 शासन ।** | **उ0प्र0 शासन ।** |

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-1148 (1) /12-5-2015-72/2015, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ( बी0एम0-9 तीन प्रतियों में )
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।